

सप्त  
शरीर

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

04/7/24 पत्रावली पेश। वकील वारी की बहुरस सुनी गई।  
वाइसराय भूमि का मूल आवंटन आदेश तलब कर  
पत्रावली में पेश किया जावे। वारी आदेश पत्रावली  
दिनांक - 18/07/2024 को पेश हो।

18/7/24 पत्रावली पेश। वारी आदेश पत्रावली दिनांक -  
24/7/2024 को पेश हो।

24/7/24 - पत्रावली पेश। वारी आदेश पत्रावली दिनांक -  
29/07/2024 को पेश हो।

29/7/24 पत्रावली पेश। वकील वारीगण द्वारा बहुरस के दौरान  
प्रस्तुत तर्कों पर मजबूत किया। वकील वारीगण द्वारा  
श्रीरानी बहुरस कचन किया की वारीगण के पिता  
की अविवाहित का आवंटन हुआ है, लेकिन अभी  
तक अमल राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हुआ है। इस  
अपने पूर्वज के नाम अविवाहित भूमि का अमल  
करवाने आये है। वारीगण के वार पत्र की  
पेशीकार सरकार द्वारा अपने जवाब में इकांती  
किया है।  
दुमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों  
का अवलोकन किया। वारीगण ने अविवाहित भूमि  
में अपने कल्ले काशन। चन्द्रा के वारिसान होने  
बाबत व भूमि की कीमत जमा। बकाया होने बाबत  
कोई दस्तावेजात। साक्ष्य पेश नहीं किया है। अविवाहित  
भूमियों को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाने  
की पृथक प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके अनुसार  
वारीगण को अमल करवाना चाहिए। पार्थिव  
(वारीगण) ने राजस्व कर्मचारियों द्वारा वारीगण

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

हिण्डोली

न्यायालय श्रीवा

किस्म मुकदमा

नं.

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>की प्रार्थना पर अमल नही करता बताया हुँ, लेकिन इस बाबत कोई शर्त / सबूत पेशा नही किये हुँ। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से बाद वादीगण शर्त से परे शामिल नही होने से खारीज किया जा रहा है। पर्चा डिक्री जारी हुये। पत्रावली कुल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दारिजल दफतर हुये। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली</p>